(28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

न0 – 525/2025

वान : –

1. पवनजीत पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द त0 टिब्बी।

वादी

बनाम

1 गुरदेवसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द त0 टिब्बी।

2 गुरमेल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द त0 टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री महावीर वर्मा वादी एवं श्री करनैल सिंह प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्री किया जाकर चक 6 एस. एल.डबल्यू. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 48/193 व चकनं0 650 आर.डी. के खाता सं0 217/67 में अंकित कुल 9.993 है० आराजी में से वादी के 236/3331 हिस्सा आराजी में निम्नानुसार विनियम कर वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्से घोषित किये जाते है:-

क. वादी को प्राप्त आराजी :- चकनं0 6 एस. एल.डबल्यू. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 48/193 में अंकित कुल 4.807 है0 आराजी में से प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 प्रत्येक का 757/17480 हिस्सा आराजी वादी को प्राप्त।

ख. प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी: – चकनं0 650 आर.डी. के खाता सं0 217/67 में अंकित कुल 9.993 है० आराजी में से वादी के 236/3331 हिस्सा आराजी मे से 0.416 है० प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिब0 प्राप्त।

इसी अनुसार चक 6 एसएलडब्ल्यु के खाता सं0 48/193 में से प्रतिवादी सं0 1 गुरदेवसिंह व प्रतिवादी सं0 2 गुरमेल सिंह का नाम कलमजन व चक 650 आरडी के खाता सं0 217/67 में से वादी का हिस्सा कम किया जावें। कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 14/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)